फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

116/2022

[illegible]क आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/2/24	पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] CPC [illegible] दिनांक 22/2/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
22/2/24	पत्रावली [illegible] CPC [illegible] स्वीकार कर [illegible] किया जाता है [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

...ली पेश हुई। पी0ओ0 ... अन्य राज्य कार्य में ... पत्रावली पूर्वानुसार दि... 23/8/24 को पेश हों।

पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] दिनांक 26/8/24 [illegible]

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्रावली पेश हुई [illegible] दिनांक 24/10/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्रावली पेश हुई [illegible] CPC [illegible] दिनांक 28/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

[illegible] को पेश हुई वकील [illegible] CPC [illegible] दिनांक 3/12/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

[illegible] पेश हुई वकील [illegible] CPC [illegible] को पेश हो।

उपखण्ड अधि... जयपुर द्वितीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

दीवानी अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र : 196/2022
निर्णय दिनांक : 27.11.2024

उनवान रामप्रपन व अन्य बनाम रामचरन व अन्य

वाद दावा बाबत घोषणा , बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी
निर्णय

दिनांक 27.12.2024

वादीगण की ओर से पेश वाद बाबत घोषणा , बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका , भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर का पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का पेश हुआ। जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने लिखावट दिनांक 24.06.1964 को आधार मानकर श्रीमान न्यायालय ने वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया वादीगण का वाद पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत ना होकर सिविल न्यायालय में प्रस्तुत होना चाहिये था क्योंकि वादीगण ने लिखावट दिनांक 24.06.1964 को आधार मानकर प्रस्तुत किया है जो इकरारनामा की परिभाषा में आता है इसलिये इकरारनामा को आधार मानकर वादीगण को संविदा की अनुपालना हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करना चाहियें था जो नहीं किया है लिखावट दिनांक 24.06.1964 में प्रतिफल राशि 871/–रुपयें अंकित कर रखी है परन्तु वादीगण एवं वादीगण के पूर्व हकधारियों के द्वारा लिखावट दिनांक 24.06.1964 के बाबत् आज दिनांक तक सक्षम न्यायालय में कोई चारा जोरी नहीं की है। वादीगण एवं वादीगण के पूर्व हक धारियों के द्वारा आदेश 02 नियम 02 सीपीसी के तहत वादीगण एवं वादीगण के पूर्व हक धारियों के द्वारा अपने हको का त्याग कर दिया है इसलियें त्याग किये अधिकारों के बाबत् वादीगण श्रीमान न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 के पूर्व हक अधिकारी राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल पारीक निवासी– ग्राम वाटीका के द्वारा अपने हक में अगस्त 1964 में विवादित कृषि का विकय पत्र अपने हक में निष्पादित करवा लिया गया था उनके फौत होने के बाद विवादित कृषि भूमि की खातेदारी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण ने विकय पत्र अगस्त 1964 को आज तक चैलेंज नहीं किया है जब तक प्रतिवादी संख 1 व 2 के पूर्व हक धारी के नाम विक्रय पत्र एवं विक्रय पत्र के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दर्ज है उनको सक्षम न्यायालय के द्वारा शून्य व निष्प्रभावी घोषित नही करवा दिया जाता है तब तक वादीगण श्रीमान न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अधिकारी नहीं है। वादीगण का वाद श्रवण कर निर्णित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का जवाब पेश हुआ जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थना प्रत्र की नद संख्या 1 मे वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार नहीं है अपितु सत्य तो यह है कि वादग्रस्त कृषि स्थित वाटिका के साबिक खसरा न. 1407,1371,1401 1402,1403,1404, 1405,1406, 1700,1408,1409 कुल रकबा 23 बोधा 19 बिस्वा है। जिसके सम्बध में खातेदार राधेश्याम पुत्र श्री गंगासहाय दिनकर ने मिति जेठ सुदी 15 सम्वत् 2021 तारीख 24–06–1964 को 01/–रूपये के स्टाम्प पर राधेश्याम पुत्र श्री गंगासहाय दिनकर ने जो प्रतिवादी संख्या 6 है ने जमीन दरोगावाली में आधी व कोठी में आधा हिस्सा कन्हैयालाल जी, रामसेवक जी पुरोहित वाटिका को बेचान कर रूपया 871/ रूपये नगद ले लिया व जमीन व कोठी का आधा हिस्सा का क़ब्जा संम्भला दिया है इस प्रकार उक्ते वादग्रस्त भूमि पर हिस्सा कन्हैयालाल पुत्र गंगाबक्श व रामसेवक पुत्र कन्हैयालाल का कब्जा काश्त रहा है। कब्जा काश्त के कथन को प्रतिवादी संख्या 5 रामस्वरूप पुत्र गणपतलाल ने अपने जवाब दाचे में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या । लगायत 2 की सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 की तह खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार नहीं है अपितु सत्य तो यह है कि वादग्रस्त कृषि भूमि की रजिस्टी 17.08.1964 कृषि भूमि को रजिस्टी प्रतिवादी संख्या । लगायत 2 के पिता राधेश्याम के नाम है उन विक्रय पत्र को वादी के हकाधिकारो तक शून्य मानते हुए बाद राजस्व न्यायालय द्वारा ही निर्णित किया जा सकता है वादीगण अपने वाद में खातेदारी अधिकारों की घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती व रथाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वादी का मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है। प्रश्न कि बाद राजस्य न्यायालय द्वारा विचारणीय है या नही तनकी विरचित करने के बाद निर्णीत किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार नहीं है अपितु सत्य तो यह है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का व उनके हकपूवाधिकारियो को कब्जा काश्त रहा है.कब्जा काश्त के कथन को प्रतिवादी संख्या 5 रामस्वरूप पुत्र गणपतलाल ने अपने जवाब दावे में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या । लगायत 2 की सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 की सह खातेदारी कृषि भूमि है। इस प्रकार वादीगण एंव वादीगण के हकपूवार्थिकारियो के द्वारा अपने हक अधिकारों का त्याग नही किया है जो साक्ष्य से निर्णीत होगा। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 मे वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार नहीं है अपितु सत्य

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

यह है कि वादीगण की वादग्रस्त कृषि भूमि की रजिस्ट्री 17.08.1964 कृषि भूमि की स्ट्री प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के पिता राधेश्याम के नाम है उक्त विक्रय पत्र को के हकअधिकारो तक शून्य मानते हुए वाद राजस्व न्यायालय द्वारा ही निर्णित किया सकता है वादग्रस्त कृषि भूमि की रजिस्टी 17.08.1964 कृषि भूति की रजिस्ट्री प्रतिवादी ा 1 लगायत के पिता राधेश्याम के नाम है उक्त विक्रय पत्र को वादी के 2 हकअधिकारी शून्य होकर राजस्व न्यायालय द्वारा ही निर्णित किया जा सकता है वादी अपने वाद में ादारी अधिकारों को घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा कार नहीं किया जा सकता है। वादी का मुख्य अनुतोष अधिकारों की घोषणा का है। ा कि यह राजस्व न्यायालय में विचारणीय है या नहीं तनकी चिरचित करने के पश्चात ा जा सकता है। वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा ाने के लिए वादपत्र प्रस्तुत किया है। जो राजस्व न्यायालय ही प्रदान कर सकता है वेल न्यायालय नही ।

पत्रावली में वकील उभयपक्षो की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी ा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में अंकित तथ्यो को दौहराते प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने हेतु निवेदन ा। वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम जाब्ता दीवानी को खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया। तथा जवाब प्रार्थना पत्र के र्थन में निम्न नजिरे पेश किये।

1. आर.आर.टी 2023(1) अर्चना बनाम एल.आर.एस खन्ना पेज 415
2. आर.आर.टी 2022–23(Supp.) दिनेश बनाम अब्दुल रसीद खान पेज 354
3. आर.आर.टी 2021(1) ओमप्रकाश बनाम दीपाराम पेज 305
4. S.B. Civil Misc. Appeal No 1197 of 2010 Ashok chouhan VS smt Amri Bai & another Page 307

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षो की ार मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पहुँचे है कि वादीगण ने वादग्रस्त कृषि स्थित वाटिका वेक खसरा न. 1407,1371,1401 1402,1403,1404, 1405,1406, 1700,1408,1409 कुल 23 वोधा 19 विस्वा है। जिसके सम्बध में खातेदार राधेश्याम पुत्र श्री गंगासहाय दिनकर जेठ सुदी 15 सम्वत् 2021 तारीख 24–06–1964 को 01/–रूपये के स्टाम्प पर म पुत्र श्री गंगासहाय दिनकर ने प्रतिवादी संख्या 6 ने जमीन दरोगावाली में आधी व में आधा हिस्सा कन्हैयालाल जी, रामसेवक जी पुरोहित वाटिका को बेचान कर रूपया रूपये नगद ले लिया व जमीन व कोठी का आधा हिस्सा का कब्जा संभला बाबत ामा के आधार पर वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हेतु अनुतोंष अनुतोष चाहा गया है। अनरजिस्टर्ड इसरारनामा के आधार पर खातेदारी प्रदान नही किये जा सकते है। इकरारनामा के आधार पर सिविल न्यायालय में कर अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी /प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाना समझते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद साबिक आराजी खसरा न. 371,1401 1402,1403,1404, 1405,1406, 1700,1408,1409 कुल रकबा 23 बीघा 19 हाल खसरा नम्बर 564 रकबा 2.46 है0 , 565 रकबा 2.87 है0 तथा 545 रकबा 0.36 ल किता 3 कुला रकबा 5.69 है0 वाके ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर को खारिज किया है। पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)